न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 147 / 2005 / वाद पत्र	तारीख दायर 02.06.2005	तारीख फैसला 31.07.2019

उनवान

काना पिता मांगू गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द सूतिया का झोंपड़ा तहसील शाहपुरा

–वादी

बनाम

1 जिलाधीश भीलवाड़ा
2 तहसीलदार शाहपुरा
3 भागुता पिता छीतर गुर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा
4 रामकिशन पिता छीतर गुर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा
5 रूकमा बेवा छीतर गुर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188, आरटीए

उपस्थितः–1. श्री त्रिलोक चन्द नोलखा :– अभिभाषक – वादी
2 श्री पेरोकार सरकार

निर्णय

उनवानी मामले में वाद पत्र खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ति स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है। वादी ने वाद पत्र विरूध्द प्रतिवादीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की ग्राम खेड़ी खुर्द पटवार हल्का गिरड़िया तहसील शाहपुरा में साबिक आराजी नम्बर 251 / 12 रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा भूमि बिलानाम स्थित थी। उक्त आराजी में से वादी को दिनांक 08.06.1982 को 9 बीघा आराजी अलोट की गई। हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर आराजी नम्बर 251 / 12 में से 9 बीघा आराजी नाप कर कब्जा वादी को सिपुर्द किया। उसी कब्जे अनुसार नक्शा ट्रेस में अलोट शुदा आराजी को फिट किया गया, तब से वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है। अलोटमेन्ट के आधार पर इन्तकाल नम्बर 286 भरा जाकर वादी के पक्ष में तय किया गया। वादी के गैर खातेदारी में आराजी नम्बर 251 / 12 ख दर्ज की गई है व राजस्व अधिनियमों के तहत 10 वर्ष तक लगातार कब्जा रहने व काश्त करने के कारण वादी को इन्तकाल नम्बर 46 से खातेदारी अधिकार दिये गये। उक्त इन्तकाल का जमाबन्दी संवत 2041 से 2044 तक अमल दरामद किया जा चुका है। सेटलमेन्ट वालों ने वादी के अलोट वाली आराजी के नये नम्बर 646 रकबा 1.17 हैक्टेयर, 647 रकबा 0.97 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.14 हैक्टेयर बनाये है, किन्तु उक्त आराजियात पर वादी का कब्जा काश्त नही है। वादी की अलोटशुदा आराजी में

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

बाबत् मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 31 माह 7 सन् 19

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

वर्तमान खातेदारी की आराजियात से काफी दूर है। सेटलमेन्ट वालों मनमकसूद तरीके से गलत नम्बर बना दिये है, जो पुराने नक्शे पर नये नक्शे से मेल नही खाता है। वादी वर्तमान में आराजी नम्बर 629 रकबा 1.60 हैक्टेयर आराजी नम्बर 622 रकबा 0.25 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 631 रकबा 0.91 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 858/629 रकबा 0.55 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 3.31 हैक्टेयर पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। सेटलमेन्टवालों ने प्राकृतिक न्याय के खिलाफ बिना वादी को सूचना दिए बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के गलत नम्बर दर्ज कर दिये है। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ खातेदारी घोषणा की डिक्री इस अमर की जारी की जावें कि वाद पत्र में वर्णित अनुसार वादी को अलोटशुदा आराजी जो अलोट के समय नक्शे में फिट की गई, उसी अनुसार वर्तमान में भी वादी के कब्जे काश्तशुदा आराजी नम्बर 622, 631, 858/629 का वादी को खातेदार काश्कार घोषित किया जावें। वादीके खाते में वर्तमान में दर्ज शुदा आराजी नम्बर 647 व 646 को वादी के खाते से हटाई जाने का आदेश बक्षावें तथा आराजी नम्बर 858/629 को प्रतिवादीगण नम्बर 3 से 5 के खाते से हटाई जाकर वादी के नाम दर्ज किये जाने का आदेश बक्षावें। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगणों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की जारी की जावें, कि वादी को पूर्व में अलोटशुदा आराजी पर हल्का पटवारी द्वारा कब्जा सिपुर्द किया गया व वर्तमान में भी वादी उसी जगह काबिज होकर काश्त कर रहा है। वादी के कब्जे व काश्त में प्रतिवादीगण स्वयं या परिवार के सदस्यों या नौकरो या एजेन्टों से बाधा उत्पन्न न करें, न करावें। इस हेतु पाबन्द किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के विरूद्ध दिनांक 06.09.2005 को एक तरफा कार्यवाही की गई। पेरोकार सरकार की ओर से नायब तहसीलदार शाहपुरा उपस्थित हुये। जिन्होने वादी के वाद का जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल फाईल है। प्रकरण में साक्ष्य बतौर शपथ–पत्र वादी काना ने व गवाह भोजा गुर्जर, कैलाश गुर्जर व उदा तेली के प्रस्तुत किये जो शामिल फाईल है। वकील वादी प्रकरण में जिरह नही कराते हुये सीधी बहस करने का निवेदन किया। दौराने बहस वादी की ओर से अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय कराते हुये वादी को आवन्टित शुदा भूमि साबिक आराजी नम्बर 251/12 रकबा 9 बीघा जिसके हाल नम्बर 646, 647 जो गलत बनाये गये है। उस पर काबिज नही होकर आराजी नम्बर 929, 858/629, 622 व 631 पर काबिज होने से खातेदार काश्तकार घोषित करावें। पेरोकार सरकार की ओर से नायबतहसीलदार ने बताया कि मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक साबिक आराजी नम्बर 251/12 जो वादी को आवन्टित हुई। उसके हाल खसरा नम्बर 646, 647 बनाये जो बिल्कुल सही है। वादी स्वयं गलत आराजियात पर काबिज हो व बिलानाम भूमि में से अपने पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहता है। जिसको वादी अधिकारी नही है।

मैने उभयपक्षकारान की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड को देखा। जिसमें साबिक रिकॉर्ड के मुताबिक वादी आराजी नम्बर 251/12 ख रकबा 9 बीघा पर गैर खातेदारी हक से दर्ज है। तथा भू प्रबन्ध के दौरान वादी को खातेदारी प्रदत्त होने से खातेदार के रूप में आराजी दर्ज हो गई। नवीन बन्दोबस्त के दौरान साबिक नम्बर 251/12 ख के हाल नम्बर 646 व 647 बनाये गये,

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

बाबत् मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 31 माह 7 सन् 12

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

जो भू–प्रबन्ध के मिलान क्षेत्रफल से सिद्ध है वादी ने अपने वाद में अंकित किया कि मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत बनाये गये है। किन्तु ऐसा कोई साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत नही किया है। वादी के कथनानुसार वादी का कब्जा आराजी संख्या 622, 631 व 629 तथा आराजी नम्बर 858/629 पर काबिज है। जिसका उसे खातेदार घोषित किया जावें। मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक उक्त आराजी संख्या 629 व 835/628 जो साबिक नम्बर 251/12 मी0 न0 से बनना सिद्ध हुआ है। चूंकि साबिक आराजी नम्बर 251/12 जिसका मूल रकबा काफी बड़ा होने से जिसके साबिक नम्बर अलग–अलग बने है। वादी के कथनानुसार जो आराजी वादी 622, 631 व 629 किता 3 रकबा 2.76 हैक्टेयर जो बिलानाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। साथ ही वादी 858/629 हाल नम्बर पर भी अपना कब्जा बताता है। जबकि उक्त भूमि अन्य खातेदारों के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं कब्जा भी अन्य काश्तकारों का है। वादी को साबिक रकबा 9 बीघा भूमि आवन्टन हुई है, जबकि वादी का कब्जा आवन्टित भूमि से कई अधिक पर कब्जा होना बताता है। जिसका वो खातेदार काश्तकार घोषित नही हो सकता है। मैनें पत्रावली एवं उपलब्ध प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिससे सिद्ध है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक साबिक से बनाये हाल नम्बर 646 व 647 जो सही है। वादी स्वयं गलत आराजियात में काबिज होकर खातेदार काश्तकार घोषित होना चाहता है। जिसका वह अधिकारी नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी सिद्ध नही होने से खारिज किया जाना उचित समझता हूं।

–:: आदेश ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण के सिद्ध करने में असफल रहने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

बाबत् मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख ..31.. माह ..7.. सन् ..19..

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री श्रीमनवीर प्रसाद नायक RAS

श्री कान्हा S/o मांगु गुर्जर बनाम श्री जिलाधीश भीलवाड़ा
नि० खेड़ी खुर्द सुथियाका 2- तहसीलदार शाहपुरा
झोपड़ा तह० शाहपुरा 3- भागुता S/o छितर गुर्जर
- वादी नि० सालरिया खुर्द
4- रामकिशन S/o छितर —"—
5- रुकमा बेवा छितर —"—

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89-188 RTA

मुकदमा नम्बर 147 सन् 05 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :– वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण के सिद्ध करने में असफल रहने के कारण वाद वादी खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द सूलयाबी तक अदा करें ।

बाबत् मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 31 माह 7 सन् 12

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)